



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
Prof. Hanumanprasad Shukla
अधिष्ठाता, अकादमिक एवं शोध
Dean, Academic & Research

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/D. A & R/01/ 1502

दिनांक : 01. 10. 2018

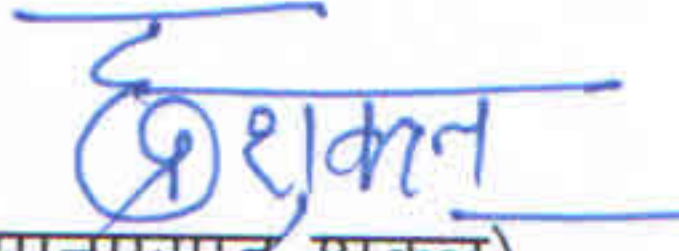
परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 04 का संदर्भ लें।

आपसे आग्रह है कि आपके विभाग/केंद्र में संचालित विविध पाठ्यक्रमों का विवरण दें और यह बतायें कि वे पाठ्यक्रम किस तरह हिंदी की प्रकार्यात्मक क्षमता के संवर्धन के लिए सार्थक है। कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि हिंदी की प्रकार्यात्मक क्षमता के संवर्धन की दृष्टि से आपके विभाग/केंद्र के स्तर पर कौन से नवाचारी उद्यम किए गए हैं और क्या वे पर्याप्त हैं ?

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 08 अक्टूबर, 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ।

विश्वविद्यालय के अकादमिक उन्नयन में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सहित,


(हनुमानप्रसाद शुक्ल)

प्रति : सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ ।

1. कुलपति कार्यालय।
2. सभी संकायाध्यक्ष।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
Prof. Hanumanprasad Shukla
अधिष्ठाता, अकादमिक एवं शोध
Dean, Academic & Research

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/D.A & R/01/1501

दिनांक : 01. 10. 2018

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि आपके विभाग/केंद्र के अध्ययन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित व अनुमोदित विविध पाठ्यक्रमों की अद्यतन प्रतिलिपि हार्ड/सॉफ्ट रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपडेट किए जाने हैं; अतः यह ध्यान रखें कि वे सीबीसीएस के अनुसार और सभी घटकों सहित पूर्ण हों।

सधन्यवाद,

(हनुमानप्रसाद शुक्ल)

प्रति : सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ /

1. कुलपति कार्यालय।
2. सभी संकायाध्यक्ष।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
Prof. Hanumanprasad Shukla
 अधिष्ठाता, अकादमिक एवं शोध
 Dean, Academic & Research

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
 फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/D. A & R/01/ 1680
 दिनांक : 01. 10. 2018

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि 31 जुलाई, 2018 से विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक : 005/2014/UGC-MHRD/10/2018/ दिनांक : 30. 08. 2018 के माध्यम से लागू किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में सभी विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों को परामर्श दिया जाता है कि वे 31 जुलाई, 2018 के पश्चात्, विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी)/संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (आईएआईपी) की जाँच और परीक्षार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु जारी प्रमाण-पत्र के बिना परीक्षार्थ अग्रेषित न करें। यह 31 जुलाई 2018 से पहले और बाद में पंजीकृत सभी शोधार्थियों के मामले में समान रूप से अनिवार्य है।

सधन्यवाद,

(हनुमानप्रसाद शुक्ल)

प्रति : सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ /

1. कुलपति कार्यालय।
2. सभी संकायाध्यक्ष।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
Prof. Hanumanprasad Shukla
 अधिष्ठाता, अकादमिक एवं शोध
 Dean, Academic & Research

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
 फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/D.A & R/01/999
 दिनांक : 01. 10. 2018

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि उनके विभाग/केंद्र में पंजीकृत (पूर्व एवं वर्तमान) समस्त शोधार्थियों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (हार्ड/सॉफ्ट रूप में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें-

शोधार्थी का नाम	प्रवेश तिथि	पंजीयन पूर्व प्रस्तुति की तिथि	पंजीयन संख्या एवं तिथि	शोध विषय	शोध विषय में संशोधन यदि हो तो, तिथि सहित	शोध निर्देशक एवं सह-शोध निर्देशक	पूर्व प्रस्तुति की तिथि	परीक्षार्थ प्रस्तुत करने की तिथि	मौखिकी/उपाधि प्राप्ति की तिथि

यह सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 08 अक्टूबर, 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ।

सधन्यवाद,


 (हनुमानप्रसाद शुक्ल)

प्रति : सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ ।

1. कुलपति कार्यालय।
2. सभी संकायाध्यक्ष।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति।